प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

द्वितीय अपील संख्या 180/2007

1. पीलक राम गोयल (मृत्यु) द्वारा विधिक प्रतिनिधि:-

ए. श्रीमती सावन बाई, उम्र लगभग 60 वर्ष, पति स्व. पीलक राम गोयल।

बी. इंद्रजीत गोयल, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता स्वर्गीय पीलक राम गोयल।

सी. रणजीत गोयल, उम्र लगभग 32 वर्ष, पिता स्वर्गीय पीलक राम गोयल।

डी. चन्द्र शेखर गोयल, उम्र लगभग 27 वर्ष, पिता स्वर्गीय पीलक राम गोयल।

सभी निवासी ग्राम सेंदरी, तहसील व जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

ई. श्रीमती संगीता आदिल, उम्र लगभग 35 वर्ष, पिता स्वर्गीय पीलक राम गोयल, पति शंकर आदिल, निवासी गाँव दलदली, तहसील मस्तूरी, जिला, बिलासपुर, छत्तीसगढ़.।

फ. श्रीमति. रीना कोशले, उम्र 24 वर्ष, पिता स्वगीर्य पीलक राम गोयल /पति शिव कुमार कोशले, निवासी ग्राम केसला, तहसील बिल्हा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़.।

---अपीलकर्ता/प्रतिवादी संख्या 4 के विधिक प्रतिनिधि

बनाम

1. जयसू, पिता छत्तलाल, उम्र लगभग 27 वर्ष।

2. धरम लाल पिता छोटेलाल, उम्र 19 वर्ष।

दोनों निवासी ग्राम रामतला, तहसील एवं जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।

--वादीगण

3. सोना बाई पिता सुखम रोहिदास, वर्तमान पता ग्राम सलका, तहसील एवं जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।

--प्रतिवादी क्र . 1

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अटल श्रीवास्तव, पिता जे.पी. श्रीवास्तव, निवासी तिलक नगर बिलासपुर, तहसील एवं जिला बिलासपुर छ.ग.

---प्रतिवादी क्र . 2

5. छत्तीसगढ़ राज्य, कलेक्टर, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के माध्यम से।

--प्रतिवादी क्र . 3

-उत्तरवादीगण

अपीलकर्ता के लिए:- श्री रविन्द्र अग्रवाल, अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1 के लिए:- श्रीमती रेणु कोचर, अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 2 के लिए:- श्री अख्तर हुसैन, अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 3/राज्य के लिए:- श्री आकाश पांडे, पैनल वकील

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल</u>

<u>बोर्ड पर निर्णय</u>

23/01/2020

1. अपीलार्थी/प्रतिवादी क्र. 4 द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधि के प्रश्न पर सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया:-

> "क्या अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय का यह निष्कर्ष न्यायसंगत था कि दिनांक 21/7/97 को पारित डिक्री वास्तविक थी और अंतिम वसीयत मृतक अगाशिया बाई द्वारा निष्पादित की गई थी?"

(सुविधा की दृष्टि से पक्षकारों को वाद में विचारण न्यायालय के समक्ष दर्शाई गई उनकी स्थिति और श्रेणी के अनुसार संदर्भित किया जाएगा।)

2. बिलासपुर के रमतला गांव में स्थित कुल 4.09 एकड़ जमीन पर अगाशिया बाई और उनकी बेटी सोना बाई का कब्जा था। जयसू और धरम लाल नामक दो वादीगण

ने दिनांक 11/05/2001 को स्वामित्व और बंटवारा की घोषणा के लिए एक वाद संस्थित किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया कि वाद भूमि मूल रूप से अगाशिया बाई के पास थी, जिन्होंने दिनांक 31/01/1999 को अपनी मृत्यु से पहले वादी के पक्ष में दिनांक 21/07/1997 (एक्स. पी/1) की वसीयत की थी। वाद के लंबित रहने के दौरान सोना बाई ने दिनांक 17/03/2003 की पंजीकृत बिक्री विलेख का कुछ संपत्ति का हिस्सा पिलक राम गोयल को विक्रय कर दिया, वादी के प्रार्थना पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25/06/2003 के आदेश पर पक्षकार/प्रतिवादी क्र. 4 के रूप में वाद में जोड़ा गया।

3. प्रतिवादी क्र. 1 ने अपना लिखित बयान प्रस्तुत किया, जिसमें अगाशिया बाई द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित वसीयत दिनांक 21/07/1997 (एक्स. पी/1) को संदेहास्पद दस्तावेज बताते हुए उसे अस्वीकार किया गया और वाद को खारिज करने की प्रार्थना की गई प्रतिवादी क्र. 4, जो पश्चातवर्ती क्रेता था, ने भी अपना लिखित बयान प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि उसने सोना बाई से पंजीकृत रूप से वाद संपत्ति का कुछ हिस्सा खरीदा है। विक्रय विलेख दिनांक 17/03/2003 है और उसका नाम राजस्व अभिलेखों में विधिवत दर्ज हो चुका है और वादी की अपील उपखण्ड अधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा खारिज कर दी गई है, अतः वादी घोषणा एवं बंटवारे का हकदार नहीं हैं।

4. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के बाद, वादी के पक्ष में अगाशिया बाई द्वारा निष्पादित दिनांक 21/07/1997 (एक्स. पी/1) की वसीयत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अंततः, अपने निर्णय और दिनांक 30/12/2005 के डिक्री के माध्यम से, उस वाद को खारिज कर दिया जिसके खिलाफ वादी ने व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 96 के तहत अपील की थी जिसमें विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री में वसीयत (एक्स. पी/1) को स्वीकार करके वादी की अपील को अनुमति दी थी। प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय और डिक्री का विरोध करते हुए, सीपीसी की धारा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

100 के तहत यह दूसरी अपील अपीलकर्ता/प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत की गई है जिसमें विधि का पर्याप्त प्रश्न तैयार किया गया है और इस निर्णय के शुरुआती पैराग्राफ में निर्धारित किया गया है।

5. श्री रवींद्र अग्रवाल, अपीलकर्ता/प्रतिवादी संख्या 4 (वर्तमान में उनके विधिक प्रतिनिधि) के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह मानना पूरी तरह से अनुचित है कि वसीयत (एक्स. पी/1) का निष्पादन और सत्यापन विधि के अनुसार साबित हो गया है, हालांकि दोनों सत्यापनकर्ता साक्षी पीरित राम (पी.डब्लू. 3) और श्याम सुंदर (पी.डब्लू. 5) की विचारण न्यायालय के समक्ष परीक्षण की गई है और उनके बयानों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वसीयत उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63(सी) तथा साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 के अनुसार विधिवत प्रमाणित नही हुई है, जिस कारण प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करते हुए द्वितीय अपील स्वीकार की जानी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. श्रीमती रेणु कोचर और श्री अख्तर हुसैन, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी/वादी क्रमांक 1 और प्रतिवादी/वादी क्रमांक 2 हेतु, प्रस्तुत करते हैं कि वाद की लंबित अवधि के दौरान प्रतिवादी क्रमांक 1 सोना बाई द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 4 के पक्ष में वाद की भूमि हस्तांतरित की गई थी और यद्यपि प्रतिवादी क्रमांक 4 को वादी के कहने पर दिनांक 25/06/2003 के आदेश द्वारा वाद में पक्षकार/प्रतिवादी के रूप में जोड़ा गया था, लेकिन चूंकि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय और डिक्री के खिलाफ अपील नहीं की, इसलिए यह अंतिम हो गया है और प्रतिवादी संख्या 4 को व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत इस न्यायालय के समक्ष अपील करने का कोई अधिकार नहीं है और अपील स्वयं ही स्वीकार्य नहीं है और खारिज किए जाने योग्य है। वैकल्पिक रूप से, प्रतिवादियों/वादी के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि यदि अपील स्वीकार्य पाई जाती है, तो वसीयत (एक्स. पी/1) का निष्पादन और सत्यापन विधि के अनुसार विधिवत प्रमाणित हो चुका है और इस पर

कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है कि इसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रमाणित पाया गया है। इसलिए, दूसरी अपील छत्तीसगढ़ न्यायालय के समक्ष अन्यथा, गुण-दोष के आधार पर गैर-स्वीकार्य होने के लिए उत्तरदायी है।

7. मैने पक्षों के विद्यान अधिवक्ता के तर्क सुने है, उनके द्वारा दिये गये प्रतिद्वंदी तर्को पर विचार किया है और अभिलेखों का अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

8. सर्वप्रथम, अपील की स्थिरता के संबंध में प्रतिवादियों/वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति पर विचार किया जा रहा है। यह सच है कि मुकदमे की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 सोना बाई द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में मुकदमे के लंबित रहने के दौरान पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 17/03/2003 द्वारा हस्तांतरित की गई थी। लेकिन उसी समय, उन्हें वादी के कहने पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25/06/2003 के अनुसार वाद में एक पक्ष/प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था, इस प्रकार, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 52 लागू होगी। प्रश्न यह है कि लिस पेंडेंस का क्या प्रभाव होगा?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. **ए. नवाब जॉन एवं अन्य बनाम वी.एन. सुब्रमण्यम**[1] के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 का प्रभाव किसी पक्ष द्वारा किए गए हस्तांतरण को शून्य नहीं करना है, बल्कि केवल ऐसे हस्तांतरणों को पक्षकारों के अधिकारों के अधीन करना है, जो अंततः वाद में निर्धारित किए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, हस्तांतरण निश्चित रूप से मुकदमे के परिणाम के अधीन वैध रहता है। लंबित क्रेता अपने विक्रेता के समान कानूनी अधिकारों और दायित्वों का हकदार होगा या भुगतना होगा जैसा कि अंततः न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

1 (2012) 7 SCC 738

10. **राज कुमार बनाम सरदारी लाल एवं अन्य**[2] के प्रकरण में, लिस पेंडेंस का सिद्धांत और पेंडेंट लाइट में हस्तांतरिती के अधिकार और दायित्व रिपोर्ट के पैराग्राफ 5 में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया गया है:-

निर्णित-ऋणी के विरुद्ध पारित डिक्री द्वारा बाध्य ठहराया गया है, यद्यपि प्रतिवादी ने अपने प्रतिद्वंद्वी को अवगत कराकर अंतरिती को रिकॉर्ड पर लाने का विकल्प नहीं चुना है और निर्णित-ऋणी के विरुद्ध पारित डिक्री द्वारा बाध्य ठहराया -

> "5. लिस पेंडेंस के सिद्धांत को 'एट लाइट पेंडर निहिल इनोवेटुर' (मुकदमेबाजी के दौरान कुछ भी नया पेश नहीं किया जाना चाहिए) सिद्धांत में व्यक्त किया गया है, जिसे संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 52 में वैधानिक रूप से शामिल किया गया है। प्रकरण के लंबनकाल के दौरान संपत्ति को अलग करके प्रतिवादी, सफल वादी को डिक्री के लाभों से वंचित करने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेंडेंट लाइट हस्तांतरित व्यक्ति को कानून की दृष्टि में उसके द्वारा किए गए हित के प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है और न ही उसे आदेश 22 नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का सहारा लेने का अधिकार है। किसी भी वाद के लंबित रहने के दौरान किसी भी हित के असाइनमेंट निर्माण या हस्तांतरण के मामले में, आदेश 22 नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायालय को उस व्यक्ति को या जिस पर ऐसा हित निहित या हस्तांतरित हुआ है, रिकॉर्ड पर लाने की अनुमति देने का विवेक प्रदान करता है। लिस पेंडेंस हस्तांतरित व्यक्ति को रिकॉर्ड पर लाना अधिकार के रूप में नहीं बल्कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2 (2004) 2 SCC 601

न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। हालाँकि इसे नहीं लाया गया है रिकार्ड पर लिस पेंडेंस ट्रांसफरी डिक्री से बंधा हुआ है।"

11. इसके बाद, पैराग्राफ 13 में, माननीय न्यायाधीशों ने माना है कि लिस पेंडेंस हस्तांतरिती हालांकि वाद में एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं है। ऐसा व्यक्ति एक व्यथित व्यक्ति होने के नाते अपील को प्राथमिकता दे सकता है और वह डिक्री के निष्पादन में कार्यवाही के लिए उत्तरदायी है, वह दायर कर सकता है।

12. इसी तरह, **मधुकर निवृत्ति जगताप और अन्य बनाम श्रीमती प्रमिलाबाई चंदूलाल परांडेकर और अन्य**[3] के प्रकरण में हाल ही में दिए गए निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने **ए. नवाब जॉन (सुप्रा)** सहित पहले के निर्णयों पर भरोसा किया है और माना है कि लिस पेंडेंस के सिद्धांत का प्रभाव किसी वाद द्वारा किए गए सभी हस्तांतरणों को रद्द करना नहीं है, बल्कि केवल उस वाद में किए जा सकने वाले डिक्री या आदेश के अधीन पक्षों के अधिकारों को प्रदान करना है। इसका प्रभाव केवल वाद में पारित डिक्री को हस्तांतरिती के पश्चातवर्ती क्रेता पर बाध्यकारी बनाना है। फिर भी, हस्तांतरण निश्चित रूप से वाद के परिणाम के अधीन वैध रहता है। रिपोर्ट के पैराग्राफ 51 में निम्नानुसार कहा गया है:

"इसलिए, वर्तमान मामले के प्रयोजन के लिए धारा 52 का प्रभाव केवल यह होगा कि अपीलकर्ताओं के पक्ष में उक्त बिक्री लेनदेन का वादी के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह संबंधित वाद के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगा। हालांकि, उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए कि उक्त लेनदेन लिस पेंडेंस द्वारा प्रभावित थे, आगे यह भी कहा है कि वर्तमान अपीलकर्ताओं के पक्ष में किए गए बिक्री विलेख अवैध थे।

13. इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों से यह स्पष्ट है कि वाद के लंबित रहने के दौरान वाद की भूमि के हस्तांतरण से लिस पेंडेंस के सिद्धांत का

3 2019 SCC Online SC 1026

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रभाव पड़ता है (संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 लागू होगी) लेकिन इसका पक्षकार द्वारा किए गए हस्तांतरण को रद्द करने का प्रभाव नहीं होगा, लेकिन यह डिक्री द्वारा बाध्य होगा। वाद में न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से पारित किया गया तथा किया गया हस्तांतरण के अधीन वैध रहेगा। मुकदमे के परिणाम तथा हस्तांतरित व्यक्ति अपील कर सकता है क्योंकि उसके विरुद्ध डिक्री निष्पादित की जाती है। इसलिए, प्रतिवादियों/वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति कि अपीलकर्ता/प्रतिवादी संख्या 4, हस्तांतरित व्यक्ति होने के कारण प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय तथा डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं कर सकता है, उचित है तथा तदनुसार खारिज की जाती है। इस प्रकार, अपील स्वीकार्य मानी जाती है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14. अब, विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं। वादीगण ने मृतक अगाशिया द्वारा निष्पादित दिनांक 21/7/97 (एक्स. पी/1) की वसीयत के दस्तावेज पर भरोसा किया है। अगाशिया बाई ने उनके पक्ष में वसीयतनामा पेश किया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे दो गवाहों पीरित राम (पी.डब्लू. 3) और श्याम सुंदर (पी.डब्लू. 5) ने सत्यापित किया है। विचारणीय संक्षिप्त प्रश्न यह होगा कि क्या वादी के पक्ष में अगाशिया बाई द्वारा वसीयत (एक्स. पी/1) का निष्पादन और सत्यापन उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63(सी) के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार वादी द्वारा साबित और स्थापित किया गया है, जिसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के साथ पढ़ा जाए।

15. यह एक सामान्य विधि है कि वसीयत संपत्ति के वसीयतनामा निपटान के साधन के रूप में वसीयतकर्ता द्वारा अपने जीवनकाल में अर्जित की गई संपत्ति को वसीयत करने का एक कानूनी रूप से स्वीकृत तरीका है, जो केवल उसकी मृत्यु के बाद ही मान्य हो जाती है, यह अब पूर्णतया वैध नहीं रह जाती है, इसमें पवित्रता का एक अत्यधिक तत्व होता है। **[देखें जगदीश चंद शर्मा बनाम नारायण सिंह सैनी (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों और अन्य[4] के माध्यम से)**

4 4(2015) 8 SCC 615

16. बार में उठाए गए तर्क पर विचार करने के लिए, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 और साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 पर ध्यान देना उचित होगा।

17. अधिनियम की धारा 63 में निम्नानुसार प्रावधान है:-

"63. विशेषाधिकार रहित वसीयत का निष्पादन.- प्रत्येक वसीयतकर्ता, जो किसी अभियान में नियोजित सैनिक या वास्तविक युद्ध में शामिल न हो, या ऐसा नियोजित या शामिल वायुसैनिक या समुद्र में नाविक न हो, अपनी वसीयत निम्नलिखित नियमों के अनुसार निष्पादित करेगा:-

(क) वसीयतकर्ता वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा या अपनी निशानी लगाएगा, या उसकी उपस्थिति में और उसके निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वसीयत पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ख) वसीयतकर्ता का हस्ताक्षर या चिह्न, या उसकी ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर इस प्रकार रखा जाएगा कि ऐसा प्रतीत हो कि ऐसा करके वसीयत लिखने वाले का उद्देश्य उसे प्रभावी बनाना था।

(ग) वसीयत को दो या अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर करते या अपना चिह्न लगाते देखा है या वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और उसके निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत पर हस्ताक्षर करते देखा है, या वसीयतकर्ता से उसके हस्ताक्षर या चिह्न या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिगत अभिस्वीकृति प्राप्त की है; और प्रत्येक गवाह वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा, लेकिन यह आवश्यक नहीं होगा कि एक से अधिक गवाह एक ही समय पर उपस्थित हों, और सत्यापन का कोई विशेष रूप आवश्यक नहीं होगा।"

18. उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 के प्रावधानों के अनुसार वसीयत के सम्यक निष्पादन के लिए (1) वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर

करना चाहिए या अपना चिह्न लगाना चाहिए; (2) वसीयतकर्ता का हस्ताक्षर या चिह्न इस प्रकार होना चाहिए कि ऐसा प्रतीत हो कि ऐसा करने का उद्देश्य वसीयत के रूप में लिखित रूप को प्रभावी बनाना था; (3) वसीयत को दो या अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए; तथा(4) उक्त गवाहों में से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर करते या अपना चिह्न लगाते देखा होगा और उनमें से प्रत्येक को वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करना चाहिए।

19. उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63(सी) के तहत दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा वसीयत के सत्यापन के उपर्युक्त प्रावधान को **जानकी नारायण भोईर बनाम नारायण**[5] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उनके प्रभुत्व द्वारा अनिवार्य माना गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 में प्रावधान है कि

> **"68. विधि द्वारा अपेक्षित दस्तावेज के निष्पादन का प्रमाण सत्यापित किया जानाः-** यदि दस्तावेज के लिए विधि द्वारा अपेक्षित है कि उसे सत्यापित किया जाए, तो उसे साक्ष्य के रूप में तब तक उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके निष्पादन को साबित करने के प्रयोजनार्थ कम से कम एक सत्यापनकर्ता साक्षी को नहीं बुलाया जाता है, यदि कोई सत्यापनकर्ता साक्षी जीवित हो, तथा न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन हो तथा साक्ष्य देने में समर्थ हो:
>
> परन्तु यह कि किसी दस्तावेज के निष्पादन के प्रमाण के लिए सत्यापनकर्ता साक्षी को बुलाना आवश्यक होगा, जो वसीयत नहीं है तथा जिसे भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के उपबंधों के अनुसार पंजीकृत किया गया है, जब तक कि उस व्यक्ति द्वारा उसके

5 (2003) 2 SCC 91

निष्पादन से, जिसके द्वारा उसके निष्पादित होने का तात्पर्य है, विशेष रूप से इनकार नहीं किया जाता है।"

21. उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार, कानून द्वारा दस्तावेज के निष्पादन को प्रमाणित किये जाने के लिए कम से कम एक जीवित गवाह द्वारा साबित किया जाना चाहिए और यह संबंधित कार्यवाही का संचालन करने वाली अदालत की प्रक्रिया के अधीन है और साक्ष्य देने में सक्षम है। हालाँकि, वसीयत के मामले में साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 का प्रावधान उपलब्ध नहीं है।

22. **गिरजा दत्त सिंह बनाम गंगोत्री दत्त सिंह**[6] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने माना है कि वसीयत के उचित सत्यापन को साबित करने के लिए, वसीयत के प्रस्तावक को यह साबित करना होगा कि 'ए' और 'बी', दो गवाहों ने वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर करते देखा था और उन्होंने स्वयं भी वसीयतकर्ता की उपस्थिति में उस पर हस्ताक्षर किए थे। साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 पर विचार करते हुए माननीय न्यायाधीशों ने आगे कहा कि वसीयत के पंजीकरण के समर्थन पर दिखाई देने वाले दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर मात्र से यह नहीं माना जा सकता है कि उन्होंने एक सत्यापनकर्ता गवाह के रूप में दस्तावेज़ पर अपने हस्ताक्षर किए हैं या यह माना जा सकता है कि उन्होंने सत्यापनकर्ता गवाह के रूप में ऐसा किया है। यह उचित रूप से निम्नानुसार देखा गया था: -

"वसीयत के उचित सत्यापन को साबित करने के लिए एक्स. ए-36 गंगोत्री को यह साबित करना होगा कि उमा दत्त सिंह और बद्री सिंह ने मृतक को वसीयत पर हस्ताक्षर करते देखा था और उन्होंने मृतक की उपस्थिति में स्वयं उस पर हस्ताक्षर किए थे। उमा दत्त सिंह और बद्री सिंह का साक्ष्य ऐसा नहीं है कि न्यायालय के मन में यह विश्वास पैदा हो कि उन्होंने मृतक को वसीयत पर हस्ताक्षर करते देखा था और उनमें से प्रत्येक ने मृतक की उपस्थिति में वसीयत पर अपने हस्ताक्षर किए थे। यह साबित हो चुका है

6 AIR 1955 SC 346

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कि वे ऐसे गवाह थे जिन्हें सच्चाई की कोई परवाह नहीं थी और वे निष्पादन के स्थान और दस्तावेजों एक्स. ए-23 और एक्स. ए-36 को गोंडा से तरबगंज स्थानांतरित करने में गुरु चरण लाल की मदद करने के लिए तैयार और इच्छुक थे, जिसके कारण वे खुद ही जानते हैं।"

पंजीकरण के समर्थन के नीचे महादेव प्रसाद और नागेशुर के हस्ताक्षर मात्र से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने दस्तावेज पर गवाहों के रूप में हस्ताक्षर किए हैं या प्रमाणित गवाह हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार, प्रमाणित गवाह को गवाह के रूप में बुलाया जाना चाहिए ताकि महादेव प्रसाद और नागेशुर को प्रमाणित गवाह माना जा सके। इसलिए यह तर्क गंगोत्र की मदद नहीं कर सकता क्योंकि यह सही है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. **<u>एच. वेंकटचला अयंगर के मामले में थिम्माजम्मा और अन्य</u>**[7] के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गजेंद्रगडकर के अनुसार वसीयत को साबित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति और मानक से संबंधित सिद्धांतों को विस्तार से निर्धारित किया। यह निम्नानुसार माना गया: -

"(1) सामान्यतः कहा जाए तो वसीयत को किसी भी अन्य दस्तावेज़ की तरह साबित करना होता है, परीक्षण ऐसे मामलों में विवेकपूर्ण मन की संतुष्टि के लिए सामान्य परीक्षण के रूप में इसे लागू किया जाना चाहिए। अन्य दस्तावेजों के प्रमाण के मामले में, वैसे ही वसीयत के प्रमाण के मामले में, कोई गणितीय निश्चितता के साथ प्रमाण पर जोर नहीं दे सकता।

(2) चूंकि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के अनुसार वसीयत को सत्यापित किया जाना आवश्यक है, इसलिए इसे साक्ष्य के रूप में तब तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, जब तक कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 के अनुसार, इसके निष्पादन को साबित करने के प्रयोजनार्थ कम

---
7 AIR 1959 SC 443

से कम एक सत्यापनकर्ता गवाह को नहीं बुलाया जाता है, बशर्ते कि कोई सत्यापनकर्ता गवाह जीवित हो, और न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन हो तथा साक्ष्य देने में सक्षम हो।

(3)अन्य दस्तावेजों के विपरीत, वसीयत वसीयतकर्ता की मृत्यु से संबंधित होती है और इसलिए वसीयत बनाने वाला कभी भी यह बताने के लिए उपलब्ध नहीं होता है कि वसीयत किन परिस्थितियों में निष्पादित की गई थी। यह पहलू इस सवाल के निर्णय में गंभीरता का एहसास कराता है कि क्या प्रस्तुत दस्तावेज वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत साबित होती है। आम तौर पर, वसीयत बनाने में शामिल आवश्यक तथ्यों को बताने का दायित्व प्रस्तावक पर होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) ऐसे मामले जिनमें वसीयत का निष्पादन संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा हुआ है, एक आधार पर खड़े होते हैं। एक अस्थिर हस्ताक्षर, एक कमजोर दिमाग, संपत्ति का अनुचित और अन्यायपूर्ण निपटान, प्रस्तावक द्वारा खुद वसीयत बनाने में अग्रणी भूमिका निभाना जिसके तहत उसे पर्याप्त लाभ मिलता है और ऐसी अन्य परिस्थितियाँ वसीयत के निष्पादन के बारे में संदेह पैदा करती हैं। उस संदेह को प्रस्तावक के मात्र इस दावे से दूर नहीं किया जा सकता है कि वसीयत पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर हैं या वसीयत बनाते समय वसीयतकर्ता की मानसिक और स्मृति स्वस्थ और व्यवस्थित स्थिति में थी, या कि वसीयतकर्ता की पत्नी और बच्चे जैसे लोग जो वसीयत बनाते समय वसीयतकर्ता की पत्नी और बच्चे थे, वसीयतकर्ता की पत्नी और बच्चे जो वसीयत बनाते समय वसीयतकर्ता की पत्नी और बच्चे थे, वसीयतकर्ता की पत्नी और बच्चे जैसे लोग वसीयतकर्ता की वसीयत बनाते समय वसीयतकर्ता की वसीयत को सही मानते थे, वसीयतकर्ता की वसीयत को सही मानते थे।सामान्य रूप से उनकी संपत्ति में उनका उचित हिस्सा प्राप्त करने वाले लोगों को वंचित कर दिया गया क्योंकि वसीयतकर्ता

के पास उन्हें बाहर करने के अपने स्वयं के कारण हो सकते हैं। संदिग्ध परिस्थितियों की उपस्थिति प्रारंभिक जिम्मेदारी को और अधिक भारी बना देती है और इसलिए, ऐसे मामलों में जहां वसीयत के निष्पादन पर मौजूद परिस्थितियां अदालत के संदेह को उत्तेजित करती हैं, प्रस्तावक को दस्तावेज़ को वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत के रूप में स्वीकार किए जाने से पहले सभी वैध संदेहों को दूर करना चाहिए।

(5) ऐसी वसीयतों के संबंध में, जिनका निष्पादन संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा हुआ है, न्यायिक विवेक की संतुष्टि का परीक्षण विकसित किया गया है। वह परीक्षण इस बात पर जोर देता है कि इस प्रश्न का निर्धारण करते समय कि क्या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत है, न्यायालय को एक गंभीर प्रश्न का निर्णय करने के लिए कहा जाता है और छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों के कारण न्यायालय को पूरी तरह से संतुष्ट होना पड़ता है कि वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत को वैध रूप से निष्पादित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) यदि वसीयतकर्ता वसीयत के निष्पादन के संबंध में धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती आदि का आरोप लगाता है, तो ऐसी दलीलों को उसके द्वारा साबित किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसी दलीलों के अभाव में भी, वसीयत के निष्पादन के आसपास की परिस्थितियाँ इस बारे में संदेह पैदा कर सकती हैं कि क्या वसीयतकर्ता अपनी स्वतंत्र इच्छा से काम कर रहा था। और तब यह प्रस्तावक का प्रारंभिक दायित्व है कि वह मामले में सभी उचित संदेहों को दूर करे।"

24. उपर्युक्त निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत का अनुपालन **<u>श्रीमती जसवंत कौर बनाम श्रीमती अमृत कौर एवं अन्य[8]", सुरेन्द्र पाल एवं अन्य बनाम डॉ. (श्रीमती) सरस्वती</u>**

8 (1977) 1 SCC 369

अरोरा और अन्य[9]", युमनम ओंगबी ताम्फा इबेमा देवी बनाम युमनम जॉयकुमार सिंह और अन्य[10] और जगदीश चंद्र शर्मा (सुप्रा)।

25. **रमेश वर्मा (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाम लाजेश सक्सेना (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा और अन्य[11]** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 (सी) के अनुसार वसीयत के सत्यापन को साबित करने की आवश्यकता को फिर से दोहराया है। साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 के अनुसार एक वसीयत के संबंध में यह माना गया कि प्रस्तावक को यह दिखाना होगा कि वसीयत पर वसीयतकर्ता ने हस्ताक्षर किए थे।

26. **सुरेन्द्र पाल (सुप्रा)** में, सर्वोच्च न्यायालय ने वसीयत के प्रस्तावक पर सबूत के भार की प्रकृति और सीमा के बारे में दिशा-निर्देशों को दोहराते हुए कहा कि प्रस्तावक को यह देखना होगा कि वसीयत पर वसीयतकर्ता ने हस्ताक्षर किये हैं, कि उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा से वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं; और उसने उन गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं जिन्होंने उसकी उपस्थिति में और एक दूसरे की उपस्थिति में इसे प्रमाणित किया है। एक बार जब ये तत्व स्थापित हो जाते हैं, तो प्रस्तावक पर जो दायित्व है वह समाप्त हो जाता है। आगे यह माना गया कि ऐसे मामलों में जहां प्रस्तावक ने खुद एक वसीयत के निष्पादन में एक प्रमुख भूमिका निभाई है जो उसे पर्याप्त लाभ प्रदान करती है, वह स्वयं संदिग्ध परिस्थितियों में से एक है जिसे उसे स्पष्ट और संतोषजनक सबूतों से दूर करना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. **युमनाम ओंगबी तंपा इबेमा देवी (सुप्रा)** में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि वसीयत का सत्यापन एक खाली औपचारिकता नहीं है। वसीयत के सत्यापन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए यह माना गया कि इसका अर्थ है निष्पादनकर्ता के हस्ताक्षरों की गवाही देने के उद्देश्य से एक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर

9 (1974) 2 SCC 600
10 (2009) 4 SCC 780
11 (2017) 1 SCC 257

करना। सत्यापन करने वाले गवाह को वसीयत पर हस्ताक्षर करने से पहले उस पर हस्ताक्षर करना चाहिए और इसे निम्नानुसार माना गया: -

> "13. इसलिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 और उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, किसी वसीयत को वैध होने के लिए उसमें दिए गए तरीके से दो या अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए और उसके प्रस्तावक को वसीयत को साबित करने के लिए एक सत्यापनकर्ता गवाह की जांच करनी चाहिए। सत्यापनकर्ता गवाह को न केवल वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर के बारे में बोलना चाहिए, बल्कि यह भी बताना चाहिए कि प्रत्येक गवाह ने वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. **<u>जानकी नारायण भोईर (सुप्रा)</u>** में, उच्चतम न्यायालय ने उत्तराधिकार की धारा 63(सी) पर विचार करते समय अधिनियम, 1925 और साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 के तहत यह माना गया कि वसीयत पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर का सबूत पर्याप्त नहीं था, इसके सत्यापन को भी उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 (सी) के तहत साबित किया जाना चाहिए। यह निम्नानुसार देखा गया:

> "10. साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 में कहा गया है कि अब विधि द्वारा सत्यापित किए जाने वाले दस्तावेज़ को साबित किया जा सकता है। उक्त धारा के अनुसार, विधि द्वारा सत्यापित किए जाने वाले दस्तावेज़ को तब तक साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम एक गवाह को निष्पादित न कर दिया जाए, यदि कोई सत्यापित करने वाला गवाह जीवित है, और न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन है और साक्ष्य के लिए सक्षम है। इस धारा से यह पता चलता है कि यदि कोई सत्यापित करने वाला गवाह जीवित है जो साक्ष्य देने में सक्षम है और न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन है, तो उसे साक्ष्य में इस्तेमाल किए जाने से पहले आवश्यक रूप

से जांचा जाना चाहिए। उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 को साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के साथ संयुक्त रूप से पढ़ने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि वसीयत का प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि वसीयत विधिवत और वैध रूप से निष्पादित की गई थी। यह केवल यह साबित करके नहीं किया जा सकता है कि वसीयत पर हस्ताक्षर वसीयतकर्ता के थे, बल्कि यह भी साबित करना होगा कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के खंड (सी) द्वारा अपेक्षित अनुसार सत्यापन भी ठीक से किए गए थे। यह सच है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 में यह नहीं कहा गया है कि दोनों या सभी सत्यापनकर्ता गवाहों की जांच की जानी चाहिए। लेकिन धारा 63 में परिकल्पित वसीयत के उचित निष्पादन को साबित करने के लिए कम से कम एक सत्यापनकर्ता गवाह को बुलाया जाना चाहिए, हालांकि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के अनुसार वसीयत को कम से कम दो गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए, धारा 68 के अनुसार वसीयत को कम से कम दो गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। साक्ष्य अधिनियम में यह प्रावधान है कि किसी दस्तावेज को, जिसका सत्यापित होना कानून के तहत जरूरी है, तब तक सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके उचित निष्पादन को साबित करने के लिए कम से कम एक सत्यापनकर्ता गवाह की जांच नहीं हो जाती, अगर ऐसा गवाह जीवित है और सबूत देने में सक्षम है और अदालत की प्रक्रिया के अधीन है। एक तरह से, धारा 68 उन लोगों को रियायत देती है जो कम से कम एक सत्यापनकर्ता गवाह की जांच करके अदालत में वसीयत को साबित और स्थापित करना चाहते हैं, हालांकि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के तहत वसीयत को कम से कम दो गवाहों द्वारा अनिवार्य रूप से सत्यापित किया जाना है। लेकिन महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य बात यह है कि जांचा गया एक सत्यापनकर्ता गवाह धारा 63 के खंड

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(सी) के अनुसार वसीयत के निष्पादन को साबित करने की स्थिति में होना चाहिए, अर्थात, उसमें उल्लिखित तरीके से दो सत्यापनकर्ता गवाहों द्वारा सत्यापन, सत्यापनकर्ता गवाह की जांच से छूट दी जा सकती है। वसीयत के निष्पादन को सही तरीके से साबित करने के लिए, उसकी गवाही में उसके और दूसरे सत्यापनकर्ता गवाह द्वारा वसीयत के ध्यान को संतुष्ट करना होता है। अगर उसके सत्यापन के अलावा परीक्षण किए गए सत्यापनकर्ता गवाह, अपनी गवाही में, दूसरे गवाह द्वारा वसीयत के ध्यान की आवश्यकताओं को भी संतुष्ट नहीं करते हैं, तो यह कम से कम दो गवाहों द्वारा वसीयत के सत्यापन से कम हो जाता है, इस साधारण कारण से कि वसीयत के निष्पादन का मतलब केवल वसीयतकर्ता द्वारा उस पर हस्ताक्षर करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के तहत आवश्यक सभी औपचारिकताओं को पूरा करना और साबित करना है। जहां साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तहत वसीयत को साबित करने के लिए परीक्षण किए गए एक सत्यापनकर्ता गवाह वसीयत के उचित निष्पादन को साबित करने में विफल रहता है, तो अन्य उपलब्ध सत्यापनकर्ता गवाह को उसके साक्ष्य को पूरक बनाने के लिए बुलाया जाना चाहिए ताकि इसे पूरा किया जा सके। जहां एक सत्यापनकर्ता गवाह की जांच की जाती है और वह यह साबित करने में विफल रहता है वसीयत। दूसरे शब्दों में कहें तो, अगर कोई ईबी जाति का सत्यापन करने वाला गवाह वसीयत के निष्पादन को साबित कर सकता है। यदि वसीयत को अन्य गवाह द्वारा सत्यापित नहीं किया जाता है तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में कमी होगी।"

29. <u>जानकी नारायण भोईर</u> (सुप्रा) में प्रतिपादित विधि के सिद्धांत का अनुपालन <u>जगदीश चंद्र शर्मा</u> (सुप्रा) में अनुमोदन के साथ किया गया है, जिसके अनुसार यह निर्णय दिया गया:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"52. अधिनियम की धारा 63 और अधिनियम 1872 की धारा 68 और 71 के संबंधित प्रावधानों पर विचार करते हुए कानून द्वारा अनिवार्य रूप से सत्यापित किए जाने वाले दस्तावेज़ के संबंध में, यह जानकी भोईर (सुप्रा) द्वारा माना गया था कि यदि एक सत्यापित करने वाला गवाह जीवित है और साक्ष्य देने में सक्षम है और अदालत की प्रक्रिया के अधीन है, तो साक्ष्य। यह स्पष्ट किया गया था कि अधिनियम की धारा 63 और 1872 के अधिनियम की धारा 68 के संयुक्त पढ़ने पर, यह स्पष्ट था कि वसीयत पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर का मात्र प्रमाण पर्याप्त नहीं था और अधिनियम की धारा 63 (सी) के अनुसार इसका सत्यापन भी साबित किया जाना था। हालांकि, इस बात पर जोर दिया गया था कि हालांकि 1872 के अधिनियम की धारा 68 एक दस्तावेज के प्रमाण की अनुमति देती है जिसे एक सत्यापित करने वाले गवाह द्वारा अनिवार्य रूप से सत्यापित किया जाना आवश्यक है, उसे इसके निष्पादन को साबित करने की स्थिति में होना चाहिए और यदि यह एक वसीयत है, तो अधिनियम की धारा 63 (सी) के अनुसार, दो सत्यापनकर्ता गवाहों द्वारा सत्यापन, जैसा कि उसमें परिकल्पित है। यह स्पष्ट किया गया कि यदि उसके सत्यापन के अलावा जांचे गए सत्यापनकर्ता गवाह ने अन्य गवाह द्वारा वसीयत के सत्यापन की आवश्यकता को साबित नहीं किया, तो उसकी गवाही कम से कम दो गवाहों द्वारा वसीयत के सत्यापन से कम होगी, क्योंकि सरल कारण यह है कि वसीयत के निष्पादन का मतलब केवल उस पर हस्ताक्षर करना नहीं है। वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत की गई हो, लेकिन इसमें सभी आवश्यक औपचारिकताओं के सबूत को पूरा करना शामिल है। अधिनियम की धारा 63 के तहत। यह माना गया कि जहां 1872 अधिनियम की धारा 68 के तहत वसीयत को साबित करने के लिए जांचे गए सत्यापनकर्ता गवाह वसीयत के उचित निष्पादन को साबित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करने में विफल रहते हैं, तो अन्य उपलब्ध सत्यापनकर्ता गवाह को अपने साक्ष्य को पूरक बनाने के लिए बुलाया जाना चाहिए ताकि इसे सभी मामलों में पूरा किया जा सके।

30. इसी प्रकार, **गोपाल स्वरूप** (सुप्रा) में, यह निम्नानुसार माना गया है:

"21. यह हमें तीसरी आवश्यकता पर ले आता है, अर्थात, वसीयत को दो या अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए, जिनमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता को वसीयत पर अपना निशान लगाते हुए देखा हो या किसी अन्य व्यक्ति को उसकी उपस्थिति में और वसीयतकर्ता द्वारा हस्ताक्षर करते हुए देखा हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. वसीयतकर्ता के निवेदन पर वर्तमान मामले के तथ्यों को संज्ञान में लिया। वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत के निष्पादन और सत्यापन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णयों में दिए गए विधि के सिद्धांत के प्रकाश में, अभिलेख के आधार पर निम्नलिखित तथ्यात्मक स्थिति उभर कर सामने आती है:-

(क) वसीयतकर्ता अगाशिया बाई ने अपनी संपत्ति के संबंध में दोनों वादी जयसू और धरम लाल के पक्ष में दिनांक 21/07/1997 को एक्स.पी/1 के तहत एक पंजीकृत वसीयत निष्पादित की थी।

(ख) दिनांक 21/07/1997 की वसीयत को दो गवाहों, पीरित राम (पी.डब्लू. 3) और श्याम सुंदर (पी.डब्लू. 5) द्वारा सत्यापित बताया गया है।

32. पीरित राम (पी.डब्लू. 3) ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 4 के तहत दायर अपने बयान में केवल यह कहा है कि अगाशिया बाई (एक्स. पी/1) द्वारा निष्पादित वसीयत में, उन्होंने केवल एक गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए हैं, उनके द्वारा आगे कुछ भी नहीं कहा गया है। उन्होंने यह नहीं बताया है कि अगाशिया बाई

द्वारा तैयार की गई वसीयत उन्हें पढ़कर सुनाई गई या समझाई गई या वसीयत उनकी उपस्थिति में या दूसरे गवाह श्याम सुंदर की उपस्थिति में निष्पादित की गई। उन्होंने वसीयतकर्ता अगाशिया बाई के बारे में भी नहीं बताया है। उनके बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने केवल वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं और वसीयत को सत्यापित करने के इरादे से नहीं, जिसमें एनिमो अटेस्टैंडी का अभाव है। इसी तरह, दूसरे गवाह श्याम सुंदर (पी.डब्लू. 5) ने कहा है कि अगाशिया बाई ने उनके हलफनामे को दाखिल करने से 5-8 साल पहले वसीयत बनाई थी, जिसके लिए उन्होंने एक गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए हैं और इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है कि वसीयतकर्ता अगाशिया बाई वसीयत बनाने की तारीख पर स्वस्थ और मनमौजी थी या नहीं और क्या उन्होंने वसीयत को सत्यापित करने के इरादे से अगाशिया बाई या दूसरे गवाह पीरित राम की मौजूदगी में वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने (दोनों ही प्रमाणित करने वाले गवाहों ने) यह भी नहीं कहा है कि वसीयतकर्ता अगाशिया बाई ने वसीयत को सत्यापित करने के इरादे से वसीयत को सत्यापित किया था। इस बात पर कि क्या उन्होंने अगाशिया बाई को वसीयत पर हस्ताक्षर करते देखा है, इस प्रकार, दोनों ही गवाहों द्वारा दिए गए बयानों में उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 (सी) की आवश्यकता पूरी तरह से पूर्ण नहीं है और विशेष रूप से, गवाहों के अभिप्राय यानी अनिमो अटेस्टैंडी का बिल्कुल अभाव है। इस मामले के दृष्टिकोण से, यह नहीं माना जा सकता है कि दिनांक 21/07/1997 (एक्स. पी/1) की वसीयत उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 68 के साथ पढ़ी गई है।

33. विद्वान अधिवक्ता का निवेदन प्रतिवादियों/वादी के लिए यह प्रकरण स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह ऐसा मामला नहीं है कि दोनों ही सत्यापनकर्ता गवाहों और वसीयतकर्ता ने कानून के अनुसार वसीयत के निष्पादन और सत्यापन को साबित कर दिया है। उपर्युक्त विश्लेषण के अनुसार, मैं यह मानने में असमर्थ हूं कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के फैसले और डिक्री को पलटना न्यायोचित था और इसलिए, विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर नकारात्मक रूप में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिया जाता है, इस प्रकार, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और डिक्री अपास्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय का निर्णय बहाल किया जाता है।

34. तदनुसार द्वितीय अपील को अनुमति दी जाती है तथा पक्षकारों को अपना खर्च स्वयं वहन करने का दायित्व सौंपा जाता है।

35. तदनुसार डिक्री तैयार की जाएगी।

सही/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur